



राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(अस्थायी कार्यालय : महिला छात्रावास भवन, बाबूशोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय परिसर, अलवर)

Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321

Website : www.rrbmuniv.ac.in

क्रमांक : राऋभमवि/अल/अकादमिक-प्रथम/2019/81

दिनांक : 03.06.19

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की आठवीं बैठक (दिनांक 29.05.2019) का कार्यवाही विवरण

दिनांक 29.05.2019 प्रातः 11:00 बजे प्रबन्ध मण्डल की बैठक हॉटल लेमन ट्री में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. डॉ० भारत सिंह | - | माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष |
| 2. डॉ. एम.पी. तिवारी | - | प्रख्यात शिक्षाविद एवं सदस्य |
| 3. डॉ. केशरी नंदन मिश्रा | - | प्रख्यात शिक्षाविद एवं सदस्य |
| 4. डॉ. बनवारी लाल नाटिया | - | प्रख्यात शिक्षाविद एवं सदस्य |
| 5. डॉ. अखिलेश गुप्ता | - | प्राचार्य एवं सदस्य |
| 6. प्रो. विमलेश गुप्ता | - | प्राचार्य एवं सदस्य |
| 7. डॉ. जी.डी. मेंहदीरत्ता | - | प्राचार्य, डीन (वाणिज्य संकाय) एवं सदस्य |
| 8. डॉ. हुकुम सिंह | - | प्राचार्य, डीन (कला संकाय) एवं सदस्य |
| 9. डॉ. शैलेन्द्र सिंह भाटी | - | कॉलेज शिक्षा आयुक्त के प्रतिनिधि |
| 10. सुश्री सरोज गुप्ता | - | कुल सचिव एवं सदस्य सचिव |

बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव सुश्री सरोज गुप्ता ने सदस्यों का स्वागत किया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों एवं गतिविधियों की जानकारी करायी। इसके पश्चात निम्न एजेंडा बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए।

एजेण्डा बिन्दु सं. 1 :- गत बैठक कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं. 2 :- अकादमिक परिषद की बैठक (दिनांक 13.03.2019) में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन।

- विश्वविद्यालय में संचालित पी.जी. पाठ्यक्रमों-अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, गणित एवं भूगोल के विद्यार्थियों के लिए, यदि पाठ्यक्रम में प्रावधान है तो, वर्ष में एक बार एक दिन का शैक्षणिक भ्रमण करवाया जायेगा, जिसका व्यय विश्वविद्यालय निधि से कराया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :- इस बिन्दु पर सदस्यों ने सुझाव दिया कि भ्रमण पर विश्वविद्यालय निधि से व्यय होने वाली राशि की अधिकतम सीमा तय हो तथा भविष्य में उन्हीं पी.जी. कक्षाओं का भ्रमण करवाया जाये जिनमें प्रायोगिक परीक्षाओं का प्रावधान हो। सभी सदस्यों ने इस बिन्दु पर पुनः अध्ययन कर आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया।

- विधि विषय की पेपर स्कीम एवं पाठ्यक्रम में परिवर्तन/संशोधन का अनुमोदन।

बी.सी.आई., नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 2361 दिनांक 28.11.2018 के निर्देशानुसार LLB के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित परिवर्तन/संशोधन किये जाने के प्रस्ताव दिये गये हैं-

- LLB प्रथम वर्ष के पेपर "भारतीय संविधान" के पूर्व में चल रहे पाठ्यक्रम को दो प्रश्नपत्रों में विभक्त किया गया है।
- LLB द्वितीय वर्ष के पेपर "श्रमिक विधि" के पूर्व में चल रहे पाठ्यक्रम को दो प्रश्नपत्रों में विभक्त किया गया है।

- 3- LLB द्वितीय वर्ष के पेपर "कराधान विधि" को ऐच्छिक विषय से हटाकर LLB तृतीय वर्ष में अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा गया है।
- 4- LLB प्रथम वर्ष के पेपर "विधिक भाषा एवं विधिक लेखन" का नाम बदलकर "अंग्रेजी भाषा एवं विधिक लेखन" किया गया है।
- 5- LLB द्वितीय वर्ष में ऐच्छिक विषय के रूप में "महिला एवं कानून" जोड़ा गया है।

निर्णय:- सदस्यों ने सर्वसम्मति से उक्त प्रस्तावों का अनुमोदन किया।

• **"खेल दर्शन" के प्रस्तावित पाठ्यक्रम का अनुमोदन।**

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार अध्ययन मण्डल की बैठक में "खेल दर्शन" को BA/B.Sc/B.Com प्रथम वर्ष के अनिवार्य विषय "पर्यावरण अध्ययन" के पाठ्यक्रम में आठवीं इकाई के रूप में जोड़ने, इस इकाई का नाम Philosophy of Sports रखने एवं अधिकतम 10 अंक निर्धारित करना प्रस्तावित है।

निर्णय:-सदस्यों ने इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

• **विश्वविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिखित परीक्षा के आधार पर कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का संचालन सत्र 2018-19 से प्रारम्भ किया गया है। विश्वविद्यालय में संचालित नियमित स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध पाठ्यक्रम के पांचों विषयों- गणित इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंग्रेजी साहित्य के आगामी सत्र 2019-20 में प्रवेश राजस्थान विश्वविद्यालय एक्ट के अनुसार निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन फॉर्म आने की स्थिति में लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर कराये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय:- सदस्यों ने इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

• **विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह आयोजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।**

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षा सत्र 2015-16 से प्रारम्भ की गई। स्नातक का डिग्री कोर्स सत्र 2017-18 एवं स्नातकोत्तर का 2016-17 व 2017-18 में पूर्ण हो गया है। राज्यपाल सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ 1(12) आरबी/2009/1597, दिनांक 15 फरवरी, 2019 के अनुसार माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षान्त समारोह लोकसभा आम चुनाव 2019 के पश्चात शीघ्र ही आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है। इस समारोह में स्नातक के लगभग 11159 तथा स्नातकोत्तर के लगभग 11000 छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान की जायेगी।

निर्णय:-इस प्रस्ताव पर सभी पहलुओं पर विचार विमर्श कर सदस्यों ने अगस्त, 2019 के अंतिम सप्ताह में दीक्षांत समारोह आयोजित करने का अनुमोदन किया।

• **वर्ष 2019 की मुख्य एवं प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षकों के पैनल का अनुमोदन।**

राजकीय महाविद्यालय एवं निजी महाविद्यालयों के पूर्व में अनुमोदित पैनल के अतिरिक्त अध्ययन मण्डल की ओर से प्राप्त परीक्षकों को पैनल में सम्मिलित कर लिया गया है जिसका अनुमोदन माननीय कुलपति महोदय द्वारा परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा चुका है। अतः समस्त पैनल अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- सभी सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

• **भूगोल विषय के पी.जी. विद्यार्थियों का सात दिवसीय शिविर के प्रस्ताव का अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय के भूगोल विषय के पी.जी. विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में सात दिवसीय शिविर किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु शिविर के लिए प्रतिवर्ष वाहन किराये तथा अन्य खर्चों के व्यय का 50 प्रतिशत वहन विश्वविद्यालय के स्तर पर तथा 50 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा स्वयं वहन किया जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय:- सर्वसम्मति से सदस्यों ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

• सत्र 2019-20 में एम. फिल पाठ्यक्रम का संचालन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।
स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास व अर्थशास्त्र विषयों में एम.फिल.पाठ्यक्रम संचालित किया जाने का प्रस्ताव है। इस पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 20 सीटें निर्धारित किया जाना उचित होगा। एम.फिल. पाठ्यक्रम सत्र 2019-20 से स्थानीय बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर में अपराह्न 2:00 बजे से संचालित किया जाना प्रस्तावित है। महाविद्यालय के संबंधित विभाग में कार्यरत संकाय सदस्य या सेवानिवृत्त पात्र शिक्षक या दोनों उक्त पाठ्यक्रम के लिए प्रति कालॉश निश्चित मानदेय पर अध्यापन करा सकेंगे। अकादमी परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार पाठ्यक्रम हेतु 30,000/- रु. शुल्क रखने का प्रस्ताव है। एम.फिल. के छात्रों को पीएच.डी.करने पर, कोर्स वर्क से छूट देने का प्रस्ताव है।
निर्णय:- सभी सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

• परीक्षा प्रभाग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन।

अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव :- आगामी सत्र की परीक्षा -2020 में ओल्ड एवं न्यू स्कीम को समाप्त करके नये पाठ्यक्रम के अनुसार एक ही पैटर्न से परीक्षा आयोजित करने, ड्यू एवं पूर्व छात्रों की मार्किंग स्कीम पूर्ववत रखे जाने राजस्थान विश्वविद्यालय के 0-157-A के बिन्दु संख्या 09 में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए उपस्थित सदस्यों ने उप बिन्दु सं. 01, 02 व 03 में एक समान मानक निर्धारित करते हुए 20 प्रतिशत variation के स्थान पर 25 प्रतिशत variation लेकर नियमों में संशोधन करने का अनुमोदन किया।

निर्णय:- सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते हुए निर्णय लिया कि पुनर्मूल्यांकन के बाद यदि परीक्षार्थी की मेरिट बदलती है तो तो भी बदलाव माना जायेगा तथा परीक्षा की अंतिम मेरिट पुनर्मूल्यांकन परिणाम के बाद ही घोषित की जावेगी। उक्त संशोधन के साथ सभी सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा बिन्दु संख्या 03:- वित्त समिति की बैठक (दि0 22.02.2019) में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन

• गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा गत बैठक के अनुसार वित्त नियंत्रक व परीक्षा समिति के लिए विश्वविद्यालय निधि से राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार वाहन उपलब्ध करवाये गये हैं। निर्णय का सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से वर्ष 2015-16 के सम्बद्धता शुल्क का आंकलन 163.42 लाख में से सम्बद्धता शुल्क राशि रु. 94.62 लाख (56.10+38.52) प्राप्त हो चुका है। शेष के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। जिसका माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

• वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार से आवंटित/प्राप्त बजट/अनुदान पेटे व्यय राशि (जनवरी 2019 तक) का अनुमोदन एवं विश्वविद्यालय निधि में प्राप्त राशि एवं व्यय का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

• विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित अनुबन्धों का अनुमोदन।

(i) परीक्षा आई.टी. व नॉन आई.टी. कार्य हेतु निविदा (M/S Micronic Infotech services Pvt. Ltd. Ajmer) विश्वविद्यालय परीक्षा सत्र 2019 से 2021 तक (तीन सत्रों के लिए) परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात आई.टी. एवं नॉन आई.टी. कार्य हेतु राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार ई निविदा आमंत्रित की गई जिसमें फर्म द्वारा प्रति परीक्षार्थी सत्र 2019 हेतु 28.50/- सत्र 2020 हेतु 29/- व सत्र 2021 के लिए 29.50/- रूपयें की दर पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुबन्ध निष्पादित किया गया। जिसका अनुमोदन माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से किया गया।

(ii) परीक्षा 2019 के लिये उत्तर पुस्तिकाओं का अनुबन्ध (के.सी. प्रिंटिंग एण्ड एलाईड वर्क्स, पंचवटी, मथुरा) विश्वविद्यालय परीक्षा, 2019 हेतु सैद्धान्तिक उत्तर पुस्तिकाओं हेतु दर 6926.08/- रूपयें प्रति हजार व प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं हेतु दर 2927.78/- रूपयें प्रति हजार पर फर्म के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया। जिसका माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित छात्र पदाधिकारियों हेतु छात्र संघ कार्यालय में फर्नीचर व अन्य व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराये जाने पर राशि 3.00 लाख रू. का व्यय किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम बार निर्वाचित छात्र पदाधिकारियों की मांग व तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा छात्र संघ कार्यालय में फर्नीचर व अन्य व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया। छात्र संघ कार्यालय पर होने वाली व्यय राशि (रू. 3.00 लाख) का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

• विश्वविद्यालय में आगामी समय में आमंत्रित होने वाली निविदाओं व अन्य प्रस्तावों का अनुमोदन ।

(i). परीक्षा 2019 के लिए परीक्षा संबंधित कार्यों हेतु वाहन व्यवस्था की निविदा :- परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सामग्री पहुंचाने व उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्रित कर उनका मूल्यांकन संबंधित नोडल सेन्टर्स/अधिकारियों को भिजवाने के लिए वाहनों की निविदा का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(ii). विश्वविद्यालय कार्यालय के लिए 15 डेस्कटॉप कम्प्यूटर्स UPS क्रय की निविदा :- विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित की गई निविदा सूचना संख्या 05 वर्ष 2018-19 के तहत दिनांक 11.02.2019 को प्राप्त कर न्यूनतम दर दाता से H.P mac की 15 कम्प्यूटर डेस्कटॉप व 15 ibol के यूपीएस के क्रय की निविदा का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(iii) विश्वविद्यालय वर्ष 2016 से परीक्षाएँ आयोजित करवा रहा है। परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं को रखने के लिए विश्वविद्यालय का स्वयं का कोई भवन नहीं है। इसके लिए वर्तमान में 1 सेलर राज्य सरकार द्वारा आवंटित है व 02 भवन विश्वविद्यालय द्वारा किराये पर ले रखे हैं। वर्ष 2019 की मुख्य परीक्षाएँ 15 मार्च 2019 से प्रारंभ हो गयी हैं। अतः परीक्षा समिति द्वारा प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा पर उक्त पुस्तिकाओं का निस्तारण नीलामी के माध्यम से किये जाने के प्रस्ताव का सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(iv) विश्वविद्यालय के गठन पश्चात वर्ष 2016 से परीक्षाएँ आयोजित की जा रही है। वर्ष 2017 व वर्ष 2018 व आगामी वर्षों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम बार उपाधि (डिग्री) का मुद्रण करवाकर प्रदान की जानी है। उक्त प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(v) परीक्षा समिति व वित्त नियंत्रक को आगामी वर्ष 2019-20 हेतु राजस्थान लोक उपापन नियम व वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के तहत किराये के वाहन उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(vi) विश्वविद्यालय में भर्ती पश्चात स्टॉफ की बढ़ोत्तरी होने व छात्रसंघ कार्यालय बनने से विश्वविद्यालय परिसर में स्टॉफ व आगन्तुकों के लिए पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है। अतः वाटर कूलर मय आर.ओ. कय करने के प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(vii) विश्वविद्यालय में स्टॉफ की भर्ती व कार्य बढ़ाने से विश्वविद्यालय के कार्यों की गोपनीयता व सुगमता हेतु 04 लेपटॉप व विश्वविद्यालय कार्यालय उपयोगार्थ 10 प्रिंटर के क्रय प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

• माननीय कुलपति महोदय (अध्यक्ष) की पूर्व अनुमति से लिये गये प्रस्तावों का अनुमोदन।

(i) विश्वविद्यालय की पीजी कक्षाओं में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों का ऐतिहासिक व शैक्षणिक भ्रमण :- विश्वविद्यालय की पीजी कक्षाओं में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों का ऐतिहासिक व शैक्षणिक भ्रमण के प्रस्ताव (अनुमानित व्यय राशि रु. 40000/-) पर सदस्यों ने संशोधित सुझाव देते हुए यह निर्णय लिया कि भविष्य में उन्हीं पी.जी. कक्षाओं का भ्रमण करवाया जाए जिनमें प्रायोगिक परीक्षाओं का प्रावधान हो। सदस्यों ने सुझाव दिया कि भ्रमण पर विश्वविद्यालय निधि से व्यय होने वाली राशि की अधिकतम सीमा तय हो। सभी सदस्यों ने इस बिन्दु पर पुनः अध्ययन कर आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया।

(ii) विश्वविद्यालय की पीजी कक्षाओं का 7 दिवसीय प्रायोगिक प्रशिक्षण शिविर :- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित भूगोल विषय के पीजी परीक्षार्थियों के प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए 07 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है जो कि इनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। कोर्डिनेटर पीजी कक्षाओं द्वारा बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय द्वारा इस शिविर हेतु अपनाई जा रही व्यवस्था, जिसके तहत व्यय की राशि 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय व शेष 50 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा वहन किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसका माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं व भर्ती परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों का निर्माण कराने वाले परीक्षकों का द्विभाषीय प्रश्न पत्र के लिए 120रु. प्रति प्रश्न, एकल भाषीय (हिन्दी या अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा) के लिए 80 रु. प्रति प्रश्न की दर का प्रस्ताव रिसर्च कोर्डिनेटर द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से जानकारी प्राप्त कर विभिन्न परीक्षाओं व भर्ती परीक्षाओं की दर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(iv) विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में शैक्षणिक पदों पर भर्ती न होने के कारण समस्त पद रिक्त चल रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर बोर्ड व समितियों की तरह शोध सलाहकार समिति(RAC) व अध्ययन मण्डल (BOS) के सदस्यों की बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें विषय विशेषज्ञों को बुलाना पड़ता है। इन बैठकों में उपस्थित सदस्यों को प्रति बैठक 1000/- मानदेय व बाहर से आने वाले सदस्यों को निजी कार/टेक्सी की अनुमति सहित नियमानुसार यात्रा भत्ता प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(v) Anti Plagiarism Software विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी कार्यक्रम 2018 से प्रारंभ हो चुका है। अतः उक्त सॉफ्टवेयर खरीदने व प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाने हेतु नवीनीकरण के व्यय प्रस्ताव (अनुमानित राशि रु. 3 लाख) का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(vi) विश्वविद्यालय के गठन पश्चात वर्ष 2016 से परीक्षाएँ आयोजित की जा रही हैं। विश्वविद्यालय के कार्यों में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यों को सम्पादित करने के लिए रेक्सको सुरक्षा गार्ड व होम गार्ड सदस्यों की सेवायें प्राप्त कर कार्यालय व परीक्षा सम्बन्धित कार्य करवाये जा रहे हैं। जिससे अत्यधिक व्यय होता है व प्रति माह होम गार्ड सदस्यों के बदल जाने से कार्य दक्षता पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः विश्वविद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म से मानव श्रम उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(vii) ग्राम हल्दीना स्थित विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन परिसर में पेड़ पौधे/माली व्यवस्था हेतु 5 लाख रु. का प्रावधान आगामी वित्तीय वर्ष में किये जाने का प्रस्ताव है। जिसका माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(viii) विश्वविद्यालय कार्यालय/सैलरों के उपयोग हेतु 20 अलमारियों का क्रय करने का प्रस्ताव (अनुमानित व्यय 4 लाख) है। जिसका माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(ix) विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के प्रत्येक कार्य हेतु निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार किराये के वाहन लेकर कार्य करवाया जाता है। यदि विश्वविद्यालय की स्वयं की गाड़ियां होंगी तो समय और राशि दोनों का सदुपयोग किया जा सकता है। इसलिये यातायात को सुगम बनाने हेतु विश्वविद्यालय निधि से 01 मिनी बस व बोलेरो/स्कॉरपियो का निर्धारित दरों पर राज्य सरकार की स्वीकृति से क्रय करने के प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(x) विश्वविद्यालय परिसर में राज ऋषि भर्तृहरि जी की प्रतिमा को तैयार करवाकर स्थापित किया जाने के प्रस्ताव (अनुमानित व्यय राशि रु.15 लाख) का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(xi) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पी.जी. कोर्स व महत्वपूर्ण विषयों के संकलन हेतु विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का गठन कर पुस्तकों हेतु 5 लाख रु के प्रावधान का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(xii) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पी.जी. कोर्सेज में भूगोल विषय हेतु प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण व सुसज्जित सुविधाओं के लिए 5 लाख रु के प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(xiii) विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम दीक्षांत समारोह प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाना है। जिसकी व्यवस्था हेतु अनुमानित रु 15 लाख का प्रावधान किया गया है जिसका माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(xiv) विश्वविद्यालय में विभिन्न आधारभूत सुविधायें/ कार्य जन सहयोग से करवाने के लिए सीएसआर के तहत राशि/जन सहयोग प्राप्त करने के लिए पैनल का गठन किये जाने के प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(xv) विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियों को संकलित कर मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशन का प्रस्ताव है। सदस्यों ने इस प्रस्ताव को संशोधित करते हुए मासिक के बजाय वार्षिक पत्रिका प्रकाशित करने का सुझाव देते हुए प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

(xvi) विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारीयों द्वारा परीक्षा संबंधी विभिन्न कार्यों को सम्पादित करने के लिए किये जाने वाले मोबाईल व्यय को ध्यान में रखते हुए पुनर्भरण के लिए कमश: 300/- व 200/- सीयूजी माध्यम से उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(xvii) प्रतिवर्ष मेरीटोरियस स्टूडेंट्स को पुरस्कार हेतु रुपये 2 लाख के वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा नं.-4 निरीक्षण मण्डल की बैठक (दिनांक 12.04.2019) में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन

- निरीक्षकों के पैनल का अनुमोदन किया गया।
- सत्र 2019-20 के लिए पूर्व में संचालित अकादमिक, निजी एवं राजकीय महाविद्यालयों की सम्बद्धता के विस्तार के सम्बन्ध में विचार करना।

निर्णय :- विश्वविद्यालय द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कुछ महाविद्यालयों का आवश्यकतानुसार निरीक्षण किये जाने पर सदस्यों की सर्वसम्मति बनी। शेष महाविद्यालयों को आगामी सत्र 2019-20 के लिए सम्बद्धता विस्तार किये जाने के प्रस्ताव का सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।

- सत्र 2019-20 में नये महाविद्यालय, नये विषय, नये कोर्स, **Seat Increase /Intake** इत्यादि के निरीक्षण हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
- विधि, बीएड एवं चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स का निरीक्षण करवाये जाने का निर्णय लिया जाना।

निर्णय :- माननीय उच्च न्यायालय रिट पीटीशन संख्या 2327/2019 के द्वारा निरीक्षण शुल्क रूपये 10,000/- विश्वविद्यालय में जमा करवाये जाने पर रोक लगा दी गई है जिससे की निरीक्षण शुल्क जमा नहीं हुआ है एवं PTET-2019 के लिए सम्बद्धता प्राप्त बीएड महाविद्यालयों की सूची भेजी जानी है। इस पर निर्णय लिया गया कि बीएड एवं बीए बीएड, बीएसी बीएड पाठ्यक्रमों के लिए संबन्धित महाविद्यालयों से आवश्यक दस्तावेज मूल रूप में प्राप्त कर सत्यापित किया जाये एवं उसके आधार पर आगामी सत्र 2019-20 के सम्बद्धता में विस्तार किया जाये। सभी विधि महाविद्यालयों का निरीक्षण करवाकर सम्बद्धता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया। यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरीक्षण शुल्क पर लगी रोक नहीं हटाई जाती है तो आगामी सत्र 2020-21 से विश्वविद्यालय निधि से बीएड कॉलेजों का निरीक्षण करवाकर सम्बद्धता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

- पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या 03/2018 में विज्ञापित आशुलिपिक एवं निजी सहायक के पदों की भर्ती को निरस्त कर इन पदों पर वर्तमान योग्यता एवं भर्ती प्रक्रिया के अनुसार नया विज्ञापन जारी करने, जिन अभ्यर्थियों ने इस विज्ञापन के अनुरूप आवेदन किया है उनसे दुबारा आवेदन शुल्क नहीं लेने, उनसे केवल आवेदन फॉर्म भरवाये जाने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के अतिरिक्त निजी महाविद्यालयों / संस्थाओं को परीक्षा केन्द्र बनाने तथा इस हेतु परीक्षा केन्द्र शुल्क PTET/BSTC परीक्षा के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित करने के निर्णय का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

- **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु :-**

1. माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि गत वर्ष विश्वविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा विश्वविद्यालय निधि से 10 करोड़ रु. विश्वविद्यालय भवन निर्माण हेतु दिये जाने की बात कही, जिसे स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने लिए भेजने के निर्णय का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2. माननीय अध्यक्ष महोदय ने समस्त सदस्यों को यह अवगत कराया कि डॉ. जी.एस. चौहान जो इस समय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति हैं, ने समयाभाव के कारण वित्त समिति के सदस्य पद पर किसी अन्य को नामित करने को कहा है। इस पर सदस्यों ने विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से डॉ. बी.एल. नाटिया को वित्त समिति का सदस्य नामित किया।
3. छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में महापुरुषों / जननेताओं की प्रतिमा स्थापित करने की मांग के प्रस्ताव पर सदस्यों ने निर्णय लिया कि इस बिन्दु पर विश्वविद्यालय भवन पूर्णतः निर्मित होने के पश्चात परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।
4. दिनांक 19.12.2018 को 11:30 बजे प्रातः आयोजित की जाने वाली प्रबन्ध मण्डल की बैठक अपरिहार्य कारण से दिनांक 19.12.2018 को ही स्थगित कर दी गई थी। बैठक के प्रारम्भ में डॉ. बी. एल. नाटिया ने बिन्दु उठाया कि वह उक्त बैठक के लिए उपस्थित हो गए थे। अतएव उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जावे। प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों ने इस पर सहमति प्रदान की।


कुलसचिव


कुलपति

कुलपति
कुलपति

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय
अलवर


प्रभारी अधिकारी
अकादमिक-प्रथम